न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 19 / 2022

1 चिरंजीलाल पुत्र प्रभुदयाल जाति कुमावत निवासी श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 प्रभातीलाल पुत्र मांगीलाल।
2 नन्दलाल पुत्र मांगीलाल।
3 रामचन्द्र पुत्र मांगीलाल समस्त जाति माली निवासीगण हाल ढ़ाणी किशनाराम की तन जुगलपुरा कांवट तहसील खण्डेला जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 21.02.2022 न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला बउनवानी मांगीलाल बनाम प्रभुदयाल मुकदमा नम्बर 19 / 2015

उपस्थिति :

1. श्री प्रताप सिंह चौहान, अधिवक्ता अपीलांट

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर
सत्यमेव जयते

–निर्णय–

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिनांकः— 14-12-22

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 19/2015 में पारित निर्णय दिनांक 21.02.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में मांगीलाल बनाम प्रभुदयाल दावा संख्या 19/2015 लम्बित है। इस दावे के साथ प्रस्तुत टी.आई. आवेदन में निर्णय दिनांक 15.11.2019 से उभयपक्ष को दावे के निस्तारण तक विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये पाबन्द किया गया था। विचारण न्यायालय के समक्ष लम्बित वाद में दिनांक 17.02.2022 को वर्तमान अपीलांट द्वारा आवेदन आदेश 39 नियम 4 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत कर विरासत का नामान्तकरण एवं उपहार लेख का नामान्तकरण का लेख दर्ज करने की अनुमती चाही। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन निर्णय से अपीलांट का आवेदन खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट विवादित भूमि में अपने पिता प्रभूदयाल की मृत्यु पर विरासत के नामान्तकरण की अनुमती चाह रहा था। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज कर विधिक त्रुटि की है। अपीलांट लम्बित वाद में बतौर कायम मुकाम पक्षकार संयोजित हो चुका है। ऐसी स्थिति में विरासत का नामान्तकरण दर्ज होने से प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विपरित असर नही होता है। अत अपील स्वीकार कर विरासत का नामान्तकरण दर्ज करने की अनुमती प्रदान की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में मांगीलाल बनाम प्रभुदयाल दावा संख्या 19/2015 लम्बित है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधि
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर
सत्यमेव जयते

इस दावे के साथ प्रस्तुत टी.आई. आवेदन में निर्णय दिनांक 15.11.2019 से उभयपक्ष को दावे के निस्तारण तक विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये पाबन्द किया गया था। विचारण न्यायालय के समक्ष लम्बित वाद में दिनांक 17.02.2022 को वर्तमान अपीलांट द्वारा आवेदन आदेश 39 नियम 4 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत कर विरासत का नामान्तकरण एवं उपहार लेख का नामान्तकरण का लेख दर्ज करने की अनुमती चाही। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन निर्णय से अपीलांट का आवेदन खारिज किया है। अपीलांट ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित अस्थाई निषेधाज्ञा के अन्तिम निर्णय को अपील न्यायालय में चुनौती नही दी है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अत विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 14/12/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर